

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 1/2022-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 21.01.2022

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. दुर्गा अप्पेरलस प्राइवेट लिमिटेड, L-93, चाणक्य प्लेस, पार्ट-II, नई दिल्ली-110059 और 16 अन्य.	VIII/6/ICD/PPG/SIIB/ DRI-SCN/Durga Apparels/61/2020 दिनांक 19.10.2020, दिनांक 04/07.06.2021 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), आईसीडी-पटपरगंज, नई दिल्ली.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), आईसीडी-पटपरगंज, नई दिल्ली. (तालिका के क्रम सं. 1 से 4 के लिए)
2.	मै. हीना प्रिंटस, 392, शिवाजी नगर, पिलखुआ, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-245304 और 8 अन्य.	सी. सं. VIII/ICD/6/TKD/ SIIB Exp/DRI-SCN/Heena Prints & Ors./64/2020 दिनांक 28.01.2021.	संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), आईसीडी -तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	
3.	श्री सज्जन कुमार, K-27, चाणक्य प्लेस, पार्ट-II, नई दिल्ली-110059 और 10 अन्य.	सी. सं. VIII (10) ACE/SIIB/DRI/ 16/2020-21 दिनांक 24.03.2021. (एससीएन सं. 04/RB/JC/ACE/ 2021)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	

4.	मै. ब्लू कोबाल्ट इंपेक्स, म. सं. 288, पहला तल, पॉकेट-2, सैक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085 और 10 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/HQ- CI/50D/25/2011-CI S/12-Gen-Misc-149/2021- 22/DBK/ JNCH दिनांक 14/15.09.2021 (एससीएन सं. 411/2021- 22/CAC/NS-II/JNCH)	संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), न्हवा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
5.	श्री रूपक भटनागर, H-4/38, बंगाली कॉलोनी, महावीर एंक्लेव, नई दिल्ली-110084 और 12 अन्य.	फ़ा. सं. S.34M-62/2019 DBK दिनांक 17.12.2019, फ़ा. सं. S34-62/2019 DBK दिनांक 13.07.2021 के के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.
6.	श्री रूपक भटनागर, पुत्र श्री बी एस भटनागर, निवासी H-4/38, अप्पर ग्राउंड फ्लोर, बंगाली कॉलोनी, नई दिल्ली-110059 और 12 अन्य.	सी. सं. VIII/ICD/ 6/TKD/SIIB-EXP/DRI-SCN/ 14/2019 दिनांक 31.07.2020.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	(तालिका के क्रम सं. 5 से 7 के लिए)
7.	मै. इनश्वर इंटरनेशनल, A-202, मैन द्वारका रोड, महावीर एंक्लेव पार्ट -II, नई दिल्ली-110059 और 42 अन्य.	सी. सं. VIII (10) ACE/SIIB/DRI/ 87/2019-20 दिनांक 19.11.2020/11.12.2020, दिनांक 10.03.2021 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. (एससीएन सं. 30/KRM/ADC/ ACE/2020)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	
8.	मै. पी वी एंटरप्राइसेस, प्रोपराइटर-श्री हितेश नागवानी, 65, वासुदेव नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश-452002 और श्री संजय पंजाबी, 228, विनयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश -452002.	ओ आर सं. 238/2021- Adjn.Cus(PC) दिनांक 23.07.2021. (फ़ा. सं. DRI/HZU/26C/ Enq- 85(Int-59)/2020)	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, एल बी स्टेडियम रोड, जीएसटी भवन, बशीरबाग, हैदराबाद.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-19/2021]

(भारती शर्मा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें
4. उप निदेशक (सीआई), ए/बी-सेल, राजस्व आसूचना निदेशालय-मुख्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें